

## प्रदेश को वायुसेवा से जोड़ने के संबंध में नीति 2014

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्रमुख शहरों को वायुसेवा से जोड़ने के लिए निजी प्रचालकों (Private Operators) के माध्यम से वायुसेवा संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :-

- 1 प्रदेश को वायुसेवा से जोड़ने के लिये (प्रदेश के अंदर व प्रदेश के बाहर के शहरों को) निजी क्षेत्र के आपरेटर्स जो निर्धारित शर्तों पर तैयार हो, को खुली निविदा जारी कर चिन्हित किया जाएगा।
- 2 वायु सेवा उपलब्ध कराने के लिये खुली निविदा जारी की जाएगी। ऑपरेटर के लिये पूर्व-अहताओं मापदण्डों (Pre-Qualification Parameters) निर्धारण तथा निविदा प्रपत्र एवं उसके अनुरूप अनुबंध पत्र पर्यटन विभाग तैयार किये जायेंगे। निविदा प्रपत्र एवं अनुबंध प्रपत्र निम्न समिति द्वारा अनुमोदित किये जाएंगे -
  1. अपर मुख्य सचिव, वित्त
  2. प्रमुख सचिव, विमानन
  3. सचिव, पर्यटन
  4. प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम  
प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम समिति के सदस्य सचिव होंगे।
- 3 निजी ऑपरेटर द्वारा कम से कम दो 09 सीटर विमान का संचालन किया जायेगा। यदि ऑपरेटर एक विमान से संचालन करता है तो दो माह के अंदर दूसरे विमान का संचालन आरम्भ करना अनिवार्य होगा। पर्यटन विभाग को उक्त अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि करने का अधिकार होगा।
- 4 निजी ऑपरेटर प्रत्येक सेक्टर में किराया निर्धारण करने के लिये स्वतंत्र होगा।
- 5 निजी ऑपरेटर वित्तीय निविदा में प्रति घंटा उड़ान अनुदान की दरें प्रस्तुत करेंगे। निजी आपरेटर को प्रदेश के एक शहर से दूसरे शहर की उड़ान सेवा तथा प्रदेश के एक शहर से दूसरे प्रदेश के एक शहर की उड़ान के लिये प्रतिमाह अनुदान देय होगा। ऑपरेटर द्वारा प्रतिमाह

प्रस्तुत देयकों पर उक्त अनुदान उसी स्थिति में देय होगा जब ऑपरेटर कुल उड़ानों का न्यूनतम 60 प्रतिशत प्रदेश के अंदर तथा अधिकतम 40 प्रतिशत प्रदेश के बाहर संचालित करेगा। किन्तु निजी ऑपरेटर को मध्यप्रदेश के बाहर स्थित दो शहरों की बीच की उड़ानों के लिये अनुदान देय नहीं होगा।

- 6 विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार अनुबंधित वायुसेवा हेतु प्रति घंटे उड़ान की अनुदान दरें निविदा के द्वारा प्राप्त की जायेगी। जिसकी अधिकतम अनुदान सीमा प्रतिमाह रु. एक करोड़ की होगी। भविष्य में अनुदान की सीमा को वित्त विभाग की सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
- 7 उड़ानों के उपयोग में आने वाले ईंधन (Aviation Fuel) पर वैट की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा ऑपरेटर के साथ किये गये एम.ओ.यू. की अवधि तक इसी शर्त के आधार पर दी जायेगी कि ऑपरेटर द्वारा ईंधन (Aviation Fuel) का क्रय प्रदेश से किया जावेगा।
- 8 निजी ऑपरेटर के साथ अनुबंध की सीमा संचालन प्रारंभ करने के दिनांक से तीन वर्ष की होगी। सेवाएँ संतोषप्रद होने की स्थिति में वित्त विभाग की सहमति से अनुबंध दो वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा।
- 9 निजी ऑपरेटर भारत शासन, नागरिक उड़ान मंत्रालय, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया से संबंधित शुल्कों का भुगतान करेगा तथा उनके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने के लिये बाध्य होगा।
- 10 प्रदेश स्थित शासन के स्वामित्व एवं नियंत्रण के हवाई अडडों पर सुरक्षा व्यवस्था निःशुल्क एवं एम्बुलेन्स तथा फायर ब्रिगेड के वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जायेगी।
- 11 राज्य शासन द्वारा निजी ऑपरेटर को अनुदान, ईंधन के भुगतान की प्रतिपूर्ति तथा एम्बुलेन्स एवं फायर ब्रिगेड के वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान प्रतिमाह प्राप्त देयकों के आधार पर प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम के माध्यम से किया जायेगा।

- 12 उपरोक्त व्यवस्था को प्रभावशील करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम में पृथक से गठित विमानन प्रकोष्ठ (Aviation Cell) निरंतर कार्यशील रहेगा।
- 13 राज्य शासन को अधिकार होगा कि वह किसी भी सेक्टर में किसी अन्य ऑपरेटर को वायुसेवा संचालित करने की अनुमति ऐसी शर्तों पर दे सकेगा जो उक्तानुसार चयनित ऑपरेटर के साथ अनुबंधित शर्तों से अधिक अनुकूल न हों। ऐसी अनुमति उक्त निविदा के माध्यम से चयनित ऑपरेटर द्वारा अनुबंध के अनुसार सेवा संचालन करने की तिथि से दो वर्ष तक नहीं दी जा सकेगी। परंतु, अगर उक्त अवधि में ऑपरेटर द्वारा वायुसेवा का संतोषप्रद संचालन नहीं किया गया तो राज्य शासन अन्य ऑपरेटर को इस अवधि में कभी भी सेवा संचालन की अनुमति दे सकेगा। संतोषप्रद सेवा को पर्यटन विभाग परिभाषित करेगा।
- 14 प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम उक्त नीति के अंतर्गत आगामी अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए अधिकृत होंगे।

